

क्रमांक :- एफ.2(3412) / डी.ओ.आई. टी./संस्था / 14/01079/2020 जयपुर, दिनांक : 14.02.2020

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री अनिल कुमार शर्मा, सूचना सहायक, कार्यालय राजस्व तहसील चिडावा, झुंझुनू द्वारा VMOU, KOTA से B.LIS में अध्ययन हेतु पत्राचार माध्यम से प्रवेश की अनुमति चाही गई है। उक्त हेतु श्री अनिल कुमार शर्मा, सूचना सहायक को अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
7. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
8. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
9. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
10. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर-मान्यता के संबंध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

—sd—

(विवेक कुमार)

विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.)

एवं प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराज.)

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. तहसीलदार, कार्यालय राजस्व तहसील, चिडावा, झुंझुनू को सूचनार्थ प्रेषित है।
- ✓ 2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
3. श्री अनिल कुमार शर्मा, सूचना सहायक, कार्यालय राजस्व तहसील चिडावा, झुंझुनू।
4. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

Gtm

प्रशासनिक अधिकारी (संस्थापन)

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

क्रमांक एफ2(6579)सूप्रौ/संस्था/15/01038/2020

जयपुर, दिनांक : 13.02.2020

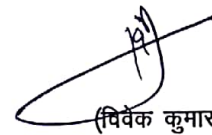
अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित कर्मचारियों को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

क्र. स.	मेरिट न.	सूचना सहायक का नाम श्री/सुश्री/श्रीमती	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1	2389	दीपिका शर्मा सूचना सहायक	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर।	1. CBSE Analyst (IT) 2020
2	3443	भरत सिंह गुर्जर सूचना सहायक	कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, दौसा।	1. आरपीएससी द्वारा आयोजित सहायक वन संरक्षक एवं वन रेन्ज ऑफिसर ग्रेड-। परीक्षा 2048
3	New IA Batch 2018	गौरव कुमार मीना, सूचना सहायक	कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमन्द।	1. RSB Tax Assistant 2018 2. SSC CGL Tier I 2019 3. RRB NTPC TIER-I
4	New IA Batch 2018	दिनेश कुमार, सूचना सहायक	कार्यालय प्रधानाचार्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा।	1. SBI Specialist Officer 2. RPSC Vice Principal (IIT College)
5	New IA Batch 2018	धनपाल मीना, सूचना सहायक	जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, बारां।	1. SSC Combined Graduate Level Exam -2018 (Tier-3) 2. SSC Combined Graduate Level Exam -2019 (Pre-Exam)
6	New IA Batch 2018	बुद्धिप्रकाश गुर्जर, सूचना सहायक	कार्यालय सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सवाई माधोपुर।	1. DSSSB Govt. of NCT of Delhi द्वारा आयोजित TGT Computer Science

उक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

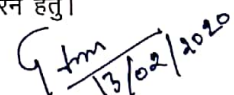
1. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. जिन कर्मचारियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. परीक्षा की स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
4. परीक्षा की तैयारी से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
5. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. प्रशासनिक कारणवश स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
7. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शारित हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।


(निवेक कुमार)

आरएस
विशेषाधिकारी (यू.आई.डी) एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. सम्बंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....।
2. संबधित कर्मचारी.....।
3. संबधित निजी/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।


13/02/2020

प्रशासनिक अधिकारी (संस्थापन)